न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 41/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 7.8..2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

बजरंगलाल आ0 ईशर जाति धोबी निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।
..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दबलाना तह0 हिण्डोली जिला बूंदी (राज0)।
.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री शंभूदयाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा मिसल सं. 31/अपील/2016 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान बजरंगलाल बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 28.2.2017 के विरूद्ध न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय नायब तहसीलदार दबलाना ने राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 8.1.2016 से अपीलार्थी को ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली के ख0 नं0 64 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म चारागाह का अतिचारी मानते हुये बेदखली, पैनाल्टी 1850/–रूपये एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना के उक्त निर्णय को निरस्त करने हेतु अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे धारा 75 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.2.2017 से खारिज कर दिया।

3 प्रथम अपीलेट न्यायालय, अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.2.2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि एंव न्याय के सिद्धान्तों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अपीलांट गरीब किसान है जिसके पास आबादी भूमि मे कोई मकान नही है अपीलांट उक्त भूमि मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है जो अपने पिता के जीवनकाल से गत 60–70 वर्षो से उक्त भूमि पर निवास कर रहा है। अपीलांट का केवल पशुओं को बांधने का बाडा व मकान बना हुआ है इसके अलावा अपीलांट ने किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नही कर रखा है। नायब तहसीलदार ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया जिससे अपीलांट को कब्जे के बावत कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का अवसर नही मिल सका तथा अपीलांट के नैसर्गिक न्याय के अधिकार का हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

भी उक्त तथ्य पर गौर नही किया। विषयक भूमि पर अपीलांट ने कभी फसल नही बोई है। पटवारी ने भौतिक रूप से कब्जे बावत जांच किये बिना रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है जिसके आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है क्योंकि पत्रावली मे पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी एवं पूर्व मे अपीलांट को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने की फर्द प्रस्तुत नही की हुई है इस प्रकार पत्रावली मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी माने जाने का कोई कारण उपलब्ध ही है। अपीलांट को इस बावत कोई नोटिस भी प्राप्त नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपील खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय हरदों अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.1.2016 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांट को नोटिस की तामील कराये बिना पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रावधानों एंव नेचुरल जस्टिस के विपरीत है क्योंकि न तो पटवारी रिपोर्ट का सत्यापन कराया गया तथा ना ही प्रकरण मे स्वतंत्र साक्ष्य लिये गये। बहस मे यह भी बताया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि में अपने पिता के जीवनकाल से गत 60–70 वर्षो से मकान बनाकर निवास कर रहा है तथा पशुओं को बांधने का बाडा बना रखा है इसके अलावा अपीलांट ने किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नही कर रखा है ना ही फसल बोई है। नायब तहसीलदार ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय आदेश जारी किया है। पत्रावली मे पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी एवं पूर्व मे अपीलांट को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने की फर्द प्रस्तुत नही की हुई है इस प्रकार पत्रावली मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी माने जाने का कोई कारण उपलब्ध ही है। अपीलांट को इस बावत कोई नोटिस भी प्राप्त नही हुआ है। उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है अतः निर्णय हरदो अधीनस्थ न्याग्रालय निरस्त किये जावे।

6 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि अपीलांटन वादग्रस्त चारागाह भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करके मकान बनाकर तथा खेती करके अतिक्रमण किया है। अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलांट परीक्षण न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का के बयान लिये गये है। विषयक भूमि से अपीलांट को गतवर्ष भी बेदखल किया गया था। अतः अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतिक्रमित चारागाह भूमि का नियमन/आवंटन नही किया जा सकता। अतः निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 ने

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश किये है ऐसी स्थिति मे अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है। लिहाजा डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

8 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। परीक्षण एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा अपीलार्थी को वादग्रस्त चारागाह भूमि ख0 नं0 64 रकबा 6 बीधा 10 बिस्वा वाके ग्राम रामनिवास पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1850/– का अर्थदण्ड/तावान तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 8.1.2016 को उक्त आशय का निर्णय पारित किया है जो नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। एक पक्षीय निर्णय किये जाने से अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही मिल सका। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्य पर गौर नही कर निर्णय दिनांक 28.2.2017 से अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। पत्रावली मे उपलब्ध परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.1.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये उक्त आशय का निर्णय पारित किया है जिससे अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध नही हो सकता ऐसी स्थिति मे परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। प्रथम अपीलेट अधिकारी ने भी उक्त तथ्य पर गौर नही कर अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 28.2.2017 से खारिज करने मे त्रुटि की है। ऐसी स्थिति मे हम निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय को न्यायोचित नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय नायब तहसीलदार दबलाना दिनांक 8.1.2016 एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी अति0 जिला कलक्टर बूंदी दिनांक 28.2.2017 निरस्त किये जाते है। प्रकरण नायब तहसीलदार दबलाना को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करे।

9 निर्णय आज दिनांक 22.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/2/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा